राजस्थान राज–पत्र विशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित
Published by Authority
चैत्र 20, बुधवार, शाके 1935–अप्रेल 10, 2013
Chaitra 20, Wednesday, Saka 1935–April 10, 2013

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

## LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

## (GROUP-II)

NOTIFICATION

**Jaipur, April 10, 2013**

**No. F. 2 (49) Vidhi/2/2012.**–The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013 is hereby published for general information:–

# THE RAJASTHAN FOREST (AMENDMENT) ACT, 2012

## (Act No. 15 of 2013)

[Received the assent of the Governor on the 9th day of April, 2013]

*An*

*Act*

*further to amend the Rajasthan Forest Act, 1953.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Forest (Amendment) Act, 2012.

(2) It shall come into force on and from the date of its first publication in the Rajasthan Gazette.

**2. Amendment of section 26, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** In sub-section (1) of section 26 of the Rajasthan Forest

Act, 1953 (Act No. 13 of 1953), hereinafter in this Act referred to as the principal Act,-

(i) for the punctuation mark ";", appearing at the end of the existing clause (i), the expression "; or" shall be substituted;

(ii) after the existing clause (i), so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(j) indulges in any act detrimental to the very existence of the forest."; and

(iii) for the existing expression "five hundred rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

**3. Amendment of section 33, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** In section 33 of the principal Act, for the existing expression "five hundred rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

**4. Amendment of section 42, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing section 42 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**42.** *Penalty for breach of rules made under section 41.-* (1) Any person who contravenes the provisions of the rules made under section 41 of this Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or fine which may extend to twenty five thousand rupees or with both.

(2) In case where the offence under sub-section (1) is committed after sunset and before sunrise or after preparation for resistance to lawful authority or where the offender has been previously convicted of a like offence, the penalties shall be double of those mentioned in sub-section (1).".

**5. Amendment of section 51, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** In sub-section (2) of section 51 of the principal Act, for the existing expression "five hundred rupees", the expression "twenty five thousand rupees" shall be substituted.

**6. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing section 52 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"52. *Seizure of property liable to confiscation and procedure therefor*.- (1) When there is reason to believe that a forest offence has been committed in respect of any forest produce, such produce, together with all machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article used in committing any such offence, may be seized by any Forest Officer or a Police Officer not below the rank of a head constable.

(2) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, either produce the property seized before an officer not below the rank of an Assistant Conservator of Forests authorised by the State Government in this behalf by notification (hereinafter in this Chapter referred to as the authorised officer) or where it is, having regard to quantity or bulk or other genuine difficulty, not practicable to produce property seized before the authorised officer, make a report about the seizure to the authorised officer, or where it is intended to launch criminal proceedings against the offender immediately, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made:

Provided that, when the forest produce with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of State Government and the offender is

unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to his official superior.

(3) Subject to sub-section (5), where the authorised officer upon production before him of property seized or upon receipt of report about seizure, as the case may be, is satisfied that a forest offence has been committed in respect thereof, he may by order in writing and for reasons to be recorded, confiscate forest-produce so seized together with all machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article used in committing such offence. A copy of order of confiscation shall be forwarded without any undue delay to the Chief Conservator of Forests of the region in which the forest produce has been seized.

(4) No order confiscating any property shall be made under sub-section (3) unless the authorised officer-

(a) sends an intimation in prescribed form about initiation of proceedings for confiscation of property to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made;

(b) issues a notice in writing to the person from whom the property is seized, and to any other person who may appear to the authorised officer to have some interest in such property;

(c) affords an opportunity to the persons referred to in clause (b) of making a representation within such reasonable time as may be specified in the notice against the proposed confiscation; and

(d) gives to the officer effecting the seizure and the person or persons to whom notice has been

issued under clause (b), a hearing on date to be fixed for such purpose.

(5) No order of confiscation under sub-section (3) of any machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article (other than timber or forest produce seized) shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-section (4) proves to the satisfaction of authorised officer that any such machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article were used without his knowledge or connivance or as the case may be, without the knowledge or connivance of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against use of objects aforesaid for commission of forest offence.".

**7. Insertion of new sections 52A, 52B and 52C, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** After section 52, amended as aforesaid, and before the existing section 53, of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"*52A. Appeal against order of confiscation.*- (1) Any person aggrieved by an order of confiscation may, within thirty days of the order, or if fact of such order has not been communicated to him, within thirty days of date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing, accompanied by such fee and payable in such form as may be prescribed and by certified copy of order of confiscation, to the Chief Conservator of Forests (hereinafter in this Chapter referred to as the Appellate Authority) of the forest region in which the forest produce has been seized.

*Explanation.*- The time requisite for obtaining certified copy of order of confiscation shall be excluded while computing period of thirty days referred to in this sub-section.

(2) The Appellate Authority shall, on presentation of memorandum of appeal, issue a notice for hearing of

appeal to the officer effecting seizure and to the appellant, and may send for record of the case.

(3) The Appellate Authority may pass such orders of "interim" nature for custody, preservation or disposal (if necessary) of the subject matter of confiscation, as may appear to be just or proper in the circumstances of the case.

(4) The Appellate Authority, having regard to the nature of the case or the complexities involved, may permit parties to the appeal to be represented by their respective legal practitioners.

(5) On the date fixed for hearing of the appeal or on such date to which the hearing may be adjourned, the Appellate Authority shall peruse the record and hear the parties to the appeal if present in person or through any agent duly authorised in writing or through a legal practitioner and shall thereafter proceed to pass an order of confirmation, reversal or modification of order of confiscation:

Provided that before passing any final order the Appellate Authority may, if it is considered necessary for proper decision of appeal, make further inquiry itself or cause it to be made by the authorised officer, and may also allow parties to file affidavits for asserting or refuting any fact that may arise for consideration and may allow proof of facts by affidavits.

(6) The Appellate Authority may also pass such orders of consequential nature, as it may deem necessary.

(7) Copy of final order, or of order of consequential nature, shall be sent to the authorised officer for compliance or for passing any other appropriate order in conformity with the order of Appellate Authority.

***52B.*** *Revision before Court of Sessions against order of Appellate Authority.*- (1) Any party to the appeal, aggrieved by final order or by order of consequential nature passed by the Appellate Authority, may within thirty days

of the order sought to be impugned, submit a petition for revision to the Court of Sessions within the Sessions division whereof the headquarters of the Appellate Authority are situate.

*Explanation.*- In computing the period of thirty days under this sub-section, the time requisite for obtaining certified copy of order of Appellate Authority shall be excluded.

(2) The Court of Sessions may confirm, reverse or modify any final order or an order of consequential nature passed by the Appellate Authority.

(3) Copies of the order passed in revision shall be sent to the Appellate Authority and to the authorised officer for compliance or for passing such further orders or for taking such further action as may be directed by such Court.

(4) For entertaining, hearing and deciding a revision under this section, the Court of Sessions shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as it exercises and follows while entertaining, hearing and deciding a revision under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), the order of the Court of Sessions passed under this section shall be final and shall not be called in question before any Court.

52C. *Bar to jurisdiction of Court, etc. under certain circumstances.*- (1) On receipt of intimation under sub-section (4) of section 52 about initiation of proceedings for confiscation of property by the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure of property, which is subject matter of confiscation, has been made, no court, tribunal or authority (other than the authorised officer, the Appellate Authority and the Court of Sessions referred to in sections 52, 52A and 52B),

shall have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal, or distribution of the property in regard to which proceedings for confiscation are initiated under section 52, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force.

*Explanation.-* Where under any law for the time being in force, two or more Courts have jurisdiction to try forest offence, then receipt of intimation under sub-section (4) of section 52 by one of the Courts of Magistrates having such jurisdiction shall be construed to be receipt of intimation under that provision by all the Courts and the bar to exercise jurisdiction shall operate on all such Courts.

(2) Nothing in sub-section (1) shall affect the power saved under section 61.".

**8. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing section 53 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**53.** *Power to release property seized under section 52.-* Any forest officer of a rank not inferior to that of a Ranger who, or whose subordinate, has seized machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article used in committing any forest offence, shall, subject to the provisions of section 52 may release the same on the execution by the owner thereof of a bond for the production of the property so released, when and where required to produce the same.".

**9. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** In section 54 of the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of sub-section (2), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (2), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that before passing any order for disposal of property, the Magistrate shall satisfy

himself that no intimation under sub-section (4) of section 52 has been received by his Court or by any other Court having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure of property has been made.".

**10. Amendment of section 55, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing sub-section (1) of section 55 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(1) All timber or forest produce which is not the property of State Government and in respect of which a forest offence has been committed, and all machinery, arms, tools, boats, cattle, vehicle, ropes, chains or any other article used in committing any forest offence, shall, subject to the provisions of sections 52, 52A, 52B and 52C be liable to confiscation upon conviction of the offender for such forest offence.".

**11. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** The existing provisions of section 60 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (2) thereof and before sub-section (2) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1) Property ordered to be confiscated by an authorised officer under section 52 shall, subject to the orders passed in appeal under section 52A or in revision under section 52B, vest in the State Government free from all encumbrances upon the conclusion of the proceedings under section 52B:

Provided that such vesting shall take effect-

(i) where no appeal is preferred under section 52A, on the expiry of the period specified for preferring appeal under section 52A; and

(ii) where final order is passed by the Appellate Authority under section 52A but no revision is preferred under section 52B, on the expiry of

the period specified for preferring revision under section 52B.".

**12. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** In section 62 of the principal Act, for the existing expression "five hundred rupees", the expression "ten thousand rupees" shall be substituted.

**13. Amendment of section 67, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing section 67 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"**67.** *Power to try summarily.*-Any Chief Judicial Magistrate or any Metropolitan Magistrate or any Magistrate of the First Class specially empowered in this behalf by the High Court, may try summarily under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act. No. 2 of 1974), any forest offence punishable with imprisonment for a term not exceeding six months, or fine not exceeding twenty five thousand rupees or both.".

**14. Amendment of section 68, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-** For the existing sub-section (3) of section 68 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"(3) A Forest Officer shall not be empowered under this section unless he is a Forest Officer of a rank not inferior to that of a Range Forest Officer.".

**15. Amendment of section 71, Rajasthan Act No. 13 of 1953.-**For the existing section 71 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**71.** *Power to alter fines fixed under the Central Act No. 1 of 1871.*- The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that, in lieu of the fines fixed under the Cattle Trespass Act, 1871 (Central Act No. 1 of 1871) as adapted to the State of Rajasthan there shall be levied for each head of cattle impounded under section 70 of this Act, such fines as it thinks fit, but not exceeding the following, that is to say-

For each elephant - Twenty five rupees

| | |
|---|---|
| For each camel | - Twenty five rupees |
| For each buffalo, horse, mare, gelding, colt, pony, filly, mule, bull, bullock, cow or heifer | - Ten rupees |
| For each calf, ass, pig, ram, ewe, sheep, lamb, goat or kid | - One rupee.". |

**16. Amendment of section 72, Rajasthan Act No. 13 of 1953.**- In section 72 of the principal Act,-

(i) in clause (b), the existing word "and" appearing at the end shall be deleted ;

(ii) in clause (c), for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the expression "; and" shall be substituted ; and

(iii) after the clause (c), so amended, the following new clause shall be added, namely:-

"(d) power to issue a search warrant under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).".

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 10, 2013

संख्या प. 2 (49) विधि/2/2012.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान फोरेस्ट (अमेण्डमेन्ट) एक्ट 2012 (एक्ट नं. 15 ऑफ 2013)"

का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

## राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2013 का अधिनियम संख्यांक 15)

[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2013 को प्राप्त हुई]

राजस्थान वन अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह राजस्थान राजपत्र में इसके प्रथम प्रकाशन की तारीख को और से प्रवृत्त होगा।

2. **1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 की धारा 26 का संशोधन.-** राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 की उप-धारा (1) में,-

(i) विद्यमान खण्ड (झ) के अन्त में आये हुए विराम चिह्न ";" के स्थान पर अभिव्यक्ति ";या" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(ञ) वन के अस्तित्व के प्रति अहितकर किसी भी कार्य में लिप्त होगा"; और

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 33 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 33 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 42 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"42. धारा 41 के अधीन बनाये गये नियमों के भंग के लिए शास्ति.- (1) कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 41 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) ऐसे मामले में, जहां उप-धारा (1) के अधीन अपराध सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिए तैयारी करने के पश्चात् किया गया है या जहां अपराधी उसी प्रकार के अपराध के लिए पहले भी सिद्धदोष हो चुका है, वहां शास्तियां उप-धारा (1) में उल्लिखित शास्तियों से दुगनी होंगी।

5. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 51 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पच्चीस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 52 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"52. अधिहरणीय सम्पत्ति का अभिग्रहण और उसकी प्रक्रिया.- (1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी वन उपज के बारे में कोई वन विषयक अपराध किया गया है, तब ऐसी उपज, समस्त मशीनरी, आयुधों, औजारों, नावों, पशुओं, यानों, रस्सियों, चैनों या किसी अन्य वस्तु सहित जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में हुआ है, किसी भी वन अधिकारी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, जो हैड कांस्टेबल से नीचे की पंक्ति का न हो, अभिगृहीत की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगायेगा कि उस सम्पत्ति का इस प्रकार अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र, या तो उस अभिगृहीत सम्पत्ति को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत सहायक वन संरक्षक की पंक्ति से अनिम्न के किसी अधिकारी के समक्ष (जिसे इस अध्याय में आगे प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) पेश करेगा या जहां सम्पत्ति की मात्रा या परिमाण या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए उसे प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करना व्यावहारिक न हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी को अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट देगा, या जहां अपराधी के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां तुरन्त आरंभ किया जाना आशयित हो, वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को देगा, जो उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण हुआ है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो:

परन्तु जब वह वन-उपज, जिसके बारे में यह विश्वास हो कि ऐसा अपराध हुआ है, राज्य सरकार की संपत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि, यथाशक्य शीघ्र, अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को दे देता है, तो यह पर्याप्त होगा।

(3) उप-धारा (5) के अध्यधीन रहते हुए, जहां प्राधिकृत अधिकारी का, अभिगृहीत संपत्ति उसके समक्ष पेश किये जाने पर या, यथास्थिति, अभिग्रहण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके संबंध में वन-अपराध कारित किया गया है तो वह लिखित आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस प्रकार अभिगृहीत वन-उपज का, समस्त मशीनरी, आयुधों, औजारों, नावों, पशुओं, यान, रस्सियों, चैनों या किसी अन्य वस्तु सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में हुआ है, अधिहरण कर सकेगा। अधिहरण के आदेश की एक प्रति उस क्षेत्र के, जिसमें वन-उपज अभिगृहीत की गयी है, मुख्य वन

संरक्षक को किसी भी असम्यक् विलंब के बिना अग्रेषित की जायेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी भी संपत्ति के अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी -

(क) उस उपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को संपत्ति के अधिहरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ किये जाने के बारे में विहित प्ररूप में सूचना न भेज दे;

(ख) उस व्यक्ति को, जिससे संपत्ति अभिगृहीत की गयी है, और ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को, जिसके संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसी संपत्ति में उसका कोई हित है, लिखित नोटिस जारी न कर दे;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को, ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न कर दे; और

(घ) अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को या उस व्यक्ति या व्यक्तियों की, जिनको उप-खण्ड (ख) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, ऐसे प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली तारीख को सुनवाई न कर ले।

(5) उप-धारा (3) के अधीन किसी मशीनरी, आयुधों, औजारों, नावों, पशुओं, यानों, रस्सियों, चैनों या किसी भी अन्य वस्तु (अभिगृहीत काष्ठ या वन उपज से भिन्न) के अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जायेगा, यदि उप-धारा (4) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी किसी भी मशीनरी, आयुधों, औजारों, नावों, पशुओं, यानों, रस्सियों, चैनों या किसी भी अन्य वस्तु का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकुलता के बिना या, यथास्थिति, उसके सेवक या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानुकुलता के बिना किया गया था और वन अपराध

कारित करने के लिए पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती गयीं थीं।"।

7. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 में नयी धाराओं 52क, 52ख और 52ग का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की यथापूर्वोक्त संशोधित धारा 52 के पश्चात्, और विद्यमान धारा 53 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"52क. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील.- (1) अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश से तीस दिवस के भीतर-भीतर, या यदि ऐसे आदेश का तथ्य उसको संसूचित नहीं किया गया हो तो ऐसे आदेश की जानकारी की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर, उस वन क्षेत्र के, जिसमें वन-उपज अभिगृहीत की गयी है, मुख्य वन संरक्षक (जिसे इस अध्याय में अपील प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) को, ऐसे प्ररूप में संदेय ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाये, और अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित लिखित अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा में निर्दिष्ट तीस दिवस की कालावधि की संगणना करते समय, अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में अपेक्षित समय अपवर्जित किया जायेगा।

(2) अपील प्राधिकारी, अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किये जाने पर, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी को और अपीलार्थी को सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेगा और मामले का अभिलेख मंगवा सकेगा।

(3) अपील प्राधिकारी, अधिहरण की विषयवस्तु की अभिरक्षा, संरक्षण या व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिए "अन्तरिम" प्रकृति के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत या उचित प्रतीत हों।

(4) अपील प्राधिकारी, मामले की प्रकृति या अन्तवर्लित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, अपील के पक्षकारों को उनके

अपने-अपने विधि व्यवसायियों द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(5) अपील प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या ऐसी तारीख पर जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाये, अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों को सुनेगा, यदि वे व्यक्तिगत रूप से या लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थित हों और तत्पश्चात्, अधिहरण के आदेश की पुष्टि, उसे उलटने या उसके उपांतरण का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा:

परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी कोई अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व, अपील के समुचित विनिश्चय के लिए यदि आवश्यक समझे तो स्वयं और जांच कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच करवा सकेगा और पक्षकारों को, ऐसे किसी भी तथ्य जो विचार करने के लिए उदभूत हो, के प्राख्यान करने या खंडन करने के लिए शपथ-पत्र फाइल करने के लिए भी अनुज्ञात कर सकेगा और शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों के सबूत भी अनुज्ञात कर सकेगा।

(6) अपील प्राधिकारी, पारिणामिक प्रकृति के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे।

(7) अंतिम आदेश, या पारिणामिक प्रकृति के आदेश की प्रति प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालन करने के लिए या अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई भी अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजी जायेगी।

52ख. अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण.- (1) अपील प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश द्वारा या पारिणामिक प्रकृति के आदेश द्वारा व्यथित, अपील का कोई भी पक्षकार, आक्षेपित किये जाने वाले आदेश के तीस दिवस के भीतर-भीतर उस सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित है।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के अधीन तीस दिवस की कालावधि की संगणना में, अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में अपेक्षित समय अपवर्जित किया जायेगा।

(2) सेशन न्यायालय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी भी अंतिम आदेश या पारिणामिक प्रकृति के किसी आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित आदेश की प्रतियां, अपील प्राधिकारी को और प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालन के लिए या ऐसे और आदेश पारित करने के लिए या ऐसी और कार्रवाई करने के लिए, जैसाकि ऐसे न्यायालय द्वारा निदेशित किया जाये, भेजी जायेंगी।

(4) इस उप-धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उस पर विनिंश्चय करने के लिए सेशन न्यायालय यथाशक्य, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसीकि वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) के अधीन किसी पुनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उस पर विनिश्चय करते समय अनुसरण करता है।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, इस धारा के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं होगा।

**52ग. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय इत्यादि की अधिकारिता का वर्जन.-** (1) उस अपराध का, जिसके कारण संपत्ति का अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा उस संपत्ति के अधिहरण के लिए, जो अधिहरण की विषयवस्तु है, कार्यवाहियां आरंभ होने के बारे में धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन सूचना प्राप्त

होने पर, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी, किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी (धारा 52, 52क और 52ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, अपील प्राधिकारी और सेशन न्यायालय से भिन्न) को, उस संपत्ति के संबंध में, जिसके लिए धारा 52 के अधीन अधिहरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ की गयी हैं, कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण से संबंधित आदेश देने की कोई अधिकारिता नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण.-** जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दो या अधिक न्यायालयों को वन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता हो, वहां ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय द्वारा धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन सूचना की प्राप्ति का अर्थ उन समस्त न्यायालयों द्वारा उस उपबंध के अधीन प्राप्त सूचना के रूप में लगाया जायेगा और अधिकारिता के प्रयोग का वर्जन ऐसे समस्त न्यायालयों पर प्रवर्तित होगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात धारा 61 के अधीन व्यावृत्त शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।"।

8. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"53. **धारा 52 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.-** रेंजर से अनिम्न पंक्ति का कोई भी वन अधिकारी, जिसने या जिसके अधीनस्थ ने कोई भी वन अपराध कारित करने में प्रयुक्त मशीनरी, आयुध, औजार, नावें, पशु, यान, रस्सियां, चैनें या कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत की है, धारा 52 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उन्हें उनके स्वामी द्वारा कोई ऐसा बन्धपत्र निष्पादित कर देने पर निर्मुक्त कर सकेगा कि वह, जब और जहां उससे इस प्रकार निर्मुक्त संपत्ति को पेश करने की अपेक्षा की जायेगी, उन्हें पेश कर देगा।"।

9. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 में,-

(i) उप-धारा (2) के अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु संपत्ति के व्ययन का कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व मजिस्ट्रेट स्वयं का यह समाधान करेगा कि उसके न्यायालय द्वारा या उस अपराध का, जिसके कारण संपत्ति का अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन कोई सूचना प्राप्त नहीं की गयी है।"।

10. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 55 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 55 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) ऐसी समस्त इमारती लकड़ी या वन-उपज जो राज्य सरकार की संपत्ति नहीं है और जिसके विषय में वन विषयक अपराध किया गया है और ऐसे वन विषयक अपराध के करने में प्रयुक्त समस्त मशीनरी, आयुध, औजार, नाव, पशु, यान, रस्सियां, चैनें या कोई अन्य वस्तु, धारा 52, 52क, 52ख और 52ग के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वन अपराध के लिए अपराधी की दोषसिद्धि पर अधिहरणीय होंगी।"।

11. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 60 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 60 के विद्यमान उपबंधों को उप-धारा (2) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुन:संख्याकित उप-धारा (2) के पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"(1) संपत्ति, जिसका अधिहरण किये जाने का धारा 52 के अधीन आदेश दिया गया हो, धारा 52क के अधीन अपील में या धारा 52ख के अधीन पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेशों के अध्यधीन रहते हुए, धारा 52ख के अधीन कार्यवाहियों की

समाप्ति पर समस्त भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी:

परन्तु इस प्रकार निहित किया जाना प्रभावी होगा -

(i) जहां, धारा 52क के अधीन कोई अपील नहीं की गयी है, वहां धारा 52क के अधीन अपील किये जाने की विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर; और

(ii) जहां, धारा 52क के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया है किन्तु धारा 52ख के अधीन कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है, वहां धारा 52ख के अधीन पुनरीक्षण किये जाने के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर।"।

**12. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 62 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 62 में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच सौ रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**13. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 67 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 67 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**67. संक्षेपतः विचारण करने की शक्ति.-** कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई महानगर मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जो इस निमित्त उच्च न्यायालय द्वारा विशेषतया सशक्त किया गया हो, किसी ऐसे वन विषयक अपराध का दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं.2) के अधीन संक्षेपतः विचारण कर सकेगा, जो छह मास से अनधिक के कारावास या पच्चीस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय है।"।

**14. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 68 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 68 की विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) इस धारा के अधीन किसी वन अधिकारी को उस दशा में ही शक्ति प्रदत्त की जायेगी जबकि वह रेंज वन अधिकारी से अनिम्न पंक्ति का वन अधिकारी हो।"।

**15.1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 71 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 71 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**"71. 1871 के केन्द्रीय अधिनियम सं.1 के अधीन नियत जुर्मानों को बदलने की शक्ति.-** राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि राजस्थान राज्य के लिए यथा अनुकूलित पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) के अधीन नियत जुर्मानों के बदले में इस अधिनियम की धारा 70 के अधीन परिबद्ध हर पशु के लिए ऐसा जुर्माना उद्गृहीत किया जायेगा जैसा कि वह ठीक समझती है, किन्तु वह निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात्:-

| | |
|---|---|
| हर हाथी के लिए | पच्चीस रुपये |
| हर ऊंट के लिए | पच्चीस रुपये |
| हर भैंस, घोड़ा, घोड़ी, खस्सी पशु, बछेड़ा, टट्टू, बछेरी, खच्चर, सांड, बैल, गाय या बछड़ी के लिए | दस रुपये |
| हर बछड़े, गधे, सूअर, मेंढे, मेंढीं, भेड़, मैमने, बकरी या उसके मैमनों के लिए।"। | एक रुपया ।"। |

**16. 1953 के राजस्थान अधिनियम सं.13 की धारा 72 का संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 72 में,-

(i) खण्ड (ख) में, अन्त में आये विद्यमान शब्द "और" को हटाया जायेगा;

(ii) खण्ड (ग) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर अभिव्यक्ति ";और" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) के अधीन तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति।"।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।



राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।